



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / 1572
दिनांक : 31.12.2019

विज्ञापित

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त सस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा-2020 (मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व छात्र परीक्षा/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन) की परीक्षाएँ फरवरी-मार्च, 2020 से प्रारम्भ होनी प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय बी0ए0, बी0काम0, बी0एस-सी0, बी0एस-सी0 फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एण्ड स्पोर्ट्स एवं एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (केवल भूतपूर्व छात्र) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित एम0ए0/एम0काम0 (व्यक्तिगत) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in एवं www.ccsuweb.in पर दिनांक 04.01.2020 से निम्नानुसार ऑन लाईन भरवाये जाने हैं :-

ऑन-लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

01.	छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाइट पर ऑन-लाईन परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	04.01.2020
02.	छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाइट पर ऑन-लाईन भरने एवं ऑन-लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	27.01.2020
03.	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त पत्राजातों सहित ऑन लाईन सत्यापन कराये जाने की अन्तिम तिथि	29.01.2020
04.	आवंटित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	31.01.2020

नोट :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के मुख्य परीक्षा/श्रेणी सुधार/एकल विषय के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु आवश्यक नियमावली/निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- समस्त छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के दिशा-निर्देशानुसार केवल अपनी सही NAD ID ही सन्दर्भित परीक्षा फार्म में भरना सुनिश्चित करें।
- समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
- व्यक्तिगत स्तर पर एकल विषय परीक्षा हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने अपनी स्नातक स्तर की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में विषय वर्ग (कला संकाय) के अनुसार ही सन्दर्भित महाविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण की है।
- कोई भी अभ्यर्थी नेट/स्लैट/एम0फिल0/पी-एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त ही केवल दो वर्ष के अन्दर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।
- व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं।
- विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
- किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को अगली कक्षा में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है।

परीक्षा नियंत्रक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की मली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

क्रमशः.....2

(2)

02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक-प्रति कुलपति को, माननीय प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
08. उप कुलसचिव (गोपनीय / लेखा / सामान्य / कमेटी सेल / अति गोपनीय विभाग)।
09. समस्त अनुभाग प्रभारी, परीक्षा विभाग / पूछताछ केन्द्र / सूचना पट।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता / प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


24/2/19
सहा० कुलसचिव (परीक्षा)